उत्तर प्रदेश शासन,

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

संख्या-77/2023/I/335587/2023/71-2002(002)/9/2023

लखनऊः दिनांक 20 जून, 2023

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा गोमती नगर योजना के अंतर्गत विभूति खण्ड में डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय को आवंटित भूमि की रजिस्ट्री कराये जाने हेतु धनराशि रू0 1,52,70,539.00 (रुपये एक करोड़ बावन लाख सत्तर हजार पांच सौ उनतालीस मात्र) शासनादेश संख्या-71/2023/I/325139/ 2023/001-71-2002-002-9-2023, दिनांक 01 जून, 2023 द्वारा अवमुक्त की गयी थी।

2- शासनादेश दिनांक 01 जून, 2023 के प्रस्तर-3 में त्रुटिवश धनराशि रू0 1,52,70,539.00 (अनुदान संख्या-31 से रू0 12063726.00 एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 3206813.00) के स्थान पर धनराशि रुपये 1,52,70,539 अनुदान संख्या-031 अंकित हो गया है।

अतः उक्त के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-71/2023/I/325139/ 2023/001-71-2002 -002-9-2023, दिनांक 01 जून, 2023 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(अरविन्द कुमार चौबे)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार चौबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।